

20-8-25

पञ्जावली पेशा घुई। वज्जुलणए परिक्तेन उपस्थित।
 अधिवक्ता वादी को पर्याप्त अवसर पदान
 क्रिये जाने के पश्चात भी प्रतिवादीश्री
 की तलबी हेतु खम्भन तलबाना पेश नहीं
 करने के कारण वादी का वाद अन्तर्गत
 आदेश-9 नियम-5 प्रा० दी० के तहत
 खारिज किया जाता है। पञ्जावली फौजल
 शुमार हीनर नंबर ले कन हीनर यखिल
 दफ्तर है।

(Signature)
 अधिका
 जयपुर

(Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)